



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार 07 अगस्त, 2025 ई0

श्रावण 16, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या 1127 / XII(1) / 2025 / 86(16)2019

देहरादून, 07 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सामान्य निर्वाचन

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-59 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 के अंतर्गत क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर निर्वाचन कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित करते हैं:-

1. शासन द्वारा निर्वाचन संबंधी अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)
3. निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत किया जाना : दिनांक 07.08.2025 (गुरुवार)

| नामांकन की तिथि | नामांकन पत्रों की जांच की तिथि | नामांकन वापसी की तिथि | मतदान की तिथि | मतगणना की तिथि |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 11.08.2025      | 11.08.2025                     | 12.08.2025            | 14.08.2025    | 14.08.2025     |

आज्ञा से,  
चन्द्रेश कुमार,  
सचिव।